



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं0 पटना 829) पटना, सोमवार, 20 जुलाई 2026

सं0 06-सू०प्रा०-03/2024 -1395
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

16 जुलाई, 2026

विषय:— बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति के संबंध में।

[Regarding approval for the establishment of Bihar State Artificial Intelligence Centre of Excellence (AI CoE) Corporation and approval of the Memorandum of Association and Articles of Association in connection therewith.]

वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो, जिससे राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभागीय संकल्प सं०-2224 दिनांक 25.11.2025 के द्वारा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें राज्य में AI से संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों Centre of Excellence (CoE) की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

- उक्त संकल्प के कंडिका-4 में यह उल्लेखित है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की वैश्विक महत्ता एवं व्यापक प्रसार के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में AI-CoE की स्थापना करने की योजना है,

जिस हेतु प्रति AI-CoE के लिए राशि रु० 20 करोड़ का प्रावधान किया गया है। AI-CoE की स्थापना पर होने वाली राशि का 40% इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, 40% राज्य सरकार एवं 20% इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा वहन किया जायेगा। इंडस्ट्री पार्टनर का चयन सूचना प्रावैधिकी विभाग के द्वारा नामांकन के माध्यम से किया जायेगा। **High Population Category** का राज्य होने के कारण बिहार में 03 (तीन) AI-CoE का प्रावधान किया गया है।

3. विभागीय संकल्प सं०-322 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन अन्तर्गत मेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) की स्थापना हेतु इंडस्ट्री पार्टनर एवं एकेडमिक पार्टनर के रूप में क्रमशः मेसर्स टाईगर एनालिटिक्स, चेन्नई एवं आई०आई०टी०, पटना का चयन नामांकन के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
4. दिनांक 11.02.2026 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार AI मिशन हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति की द्वितीय बैठक में यह अनुशंसा की गयी कि राज्य में प्रस्तावित 03 (तीन) AI-CoE के स्थान पर आई०आई०टी० पटना में एक मेगा एआई उत्कृष्टता केंद्र (AI-CoE) की स्थापना किया जाय, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-383 दिनांक 02.03.2026 के द्वारा IIT Patna से मेगा AI-CoE की स्थापना हेतु 3000 वर्गफीट भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिस पर उनके द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
5. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध-सरकारी पत्र सं०-ET/40/2024-ET दिनांक 25.03.2025 के साथ संलग्न AI Centre of Excellence के अधिष्ठापन से संबंधित **Concept Note** में यह उल्लेखित है कि प्रभावी और चुस्त शासन सुनिश्चित करने के लिए, AI-CoE को 'धारा-8' कंपनियों के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
उक्त के आलोक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी (Government Company) के रूप में गठन किये जाने का प्रस्ताव है, जो कम्पनी एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत गैर-लाभकारी (Not-for-Profit) कंपनी के रूप में कार्य करेगी। साथ ही साथ यह धारा 2(68) के अंतर्गत गारंटी द्वारा सीमित निजी कंपनी (Private Company Limited by Guarantee) होगी तथा इसकी कोई शेयर पूंजी (Share Capital) नहीं होगी।
6. बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

- बिहार राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence & AI) के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI-CoEs) की स्थापना, विकास, संचालन एवं संवर्धन करना, ताकि अप्लाईड रिसर्च, नवाचार तथा एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन आदि के विकास एवं कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही स्वास्थ्य, कृषि, सतत विकास, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, सुशासन एवं अन्य संभावित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट एआई समाधान विकसित करना।
- हाई परफॉरमेंस कम्प्यूटिंग सुविधाओं, क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटा रिपॉजिटरी एवं एआई डेटासेट प्लेटफॉर्म सहित एआई पारिस्थितिकी तंत्र के बुनियादी ढांचे का निर्माण, विकास एवं प्रबंधन करना तथा शोधकर्ताओं, स्टार्टअप्स, सरकारी संस्थाओं एवं उद्योगों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित एवं गैर-व्यक्तिगत डेटा, कम्प्यूटिंग संसाधनों तथा डिजिटल अवसरचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, ताकि एआई समाधानों का विकास एवं कार्यान्वयन सुगम हो सके।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में स्टार्टअप्स एवं नवाचार को प्रोत्साहित, संवर्धित, समर्थित एवं तीव्र गति प्रदान करना। इसके लिए इन्क्यूबेशन सुविधाएं, मार्गदर्शन (Mentorship), तकनीकी सहायता, वित्तीय सहयोग,

सह-कार्यस्थल (Co-working Space) एवं बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना तथा उद्योग, शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी निकायों के साथ सहयोग के माध्यम से नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाना।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं संबद्ध क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन, शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, हैकाथॉन आदि का आयोजन करना, एआई प्रयोगशालाओं की स्थापना करना तथा शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कर कुशल मानव संसाधन तैयार करना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में एआई आधारित समाधानों का अभिकल्पन, विकास, कार्यान्वयन एवं प्रसार करना तथा एआई के उत्तरदायी, सुरक्षित, नैतिक एवं विश्वसनीय उपयोग हेतु ऐसे ढांचे एवं मानक विकसित करना जो प्रचलित कानूनों, नीतियों एवं राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

7. बिहार स्टेट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के Board of Director में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

क्र०सं०	बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर के सदस्य	पदनाम
1	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	अध्यक्ष
2	वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी)	निदेशक
3	स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी)	निदेशक
4	शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी)	निदेशक
5	कृषि विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी)	निदेशक
6	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि। (संयुक्त सचिव से अन्यून पदाधिकारी)	निदेशक
7	विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।	निदेशक
8	इंडस्ट्री पार्टनर द्वारा नामित सदस्य।	निदेशक
9	एकेडमिक पार्टनर द्वारा नामित सदस्य।	निदेशक

8. बिहार स्टेट आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के निर्माण एवं संचालन के संबंध में निरूपित Memorandum of Association तथा Articles of Association (AoA) द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन विहित किया गया है (छाया-प्रति संलग्न)।
9. उक्त निगम, कम्पनी अधिनियम-2013 के अधीन सरकारी कम्पनी के रूप में निबंधित की जाएगी।
10. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार, पटना कंपनी के प्रबंध निदेशक होंगे। वह कंपनी के दैनिक कार्यों एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी होंगे तथा अधिनियम के अंतर्गत निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों द्वारा विधिवत अनुमोदन के पश्चात प्रत्यायोजित अथवा निहित की गई शक्तियों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। प्रबंध निदेशक इस पद के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक/वेतन का पात्र नहीं होंगे।

11. निदेशकगण को कंपनी के नाम से बैंक खाते खोलने, चेकों पर हस्ताक्षर करने, कंपनी के सभी बैंक खातों का संचालन करने, भुगतान प्राप्त करने, पृष्ठांकन (Endorsement) करने, विनिमेय लिखतों (Negotiable Instruments) को आहरित (draw) एवं स्वीकार करने की शक्ति होगी। वे इन शक्तियों के प्रयोग हेतु कंपनी की ओर से किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को भी अधिकृत कर सकेंगे।
12. निदेशक मंडल के द्वारा कंपनी एक्ट के प्रावधानों के अधीन चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, एडिशनल चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, असिस्टेंट डाइरेक्टर, मैनेजर एवं कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही साथ इनके पारिश्रमिकी का निर्धारण तथा इन्हें पद से हटाये जाने का अधिकार, निदेशक मंडल के पास होगा।
13. राज्य सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों एवं प्रगति की समीक्षा, जाँच-पड़ताल एवं कंपनी के खातों का किसी आंतरिक लेखा परीक्षक (Internal Auditor) द्वारा लेखापरीक्षण अथवा पुनः लेखापरीक्षण करा सकेगी तथा आवश्यकता एवं उपयुक्तता के अनुसार कंपनी को निर्देश जारी कर सकेगी।
उक्त के अतिरिक्त आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में निहित किसी भी पदों को जोड़ने, परिवर्तन करने अथवा हटाने के संबंध में निदेश दे सकती है।
14. वर्णित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बिहार स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (AI CoE) कॉरपोरेशन के गठन तथा इससे संबंधित मेमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।
15. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 15.07.2026 को मद् संख्या-15 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अभय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 829-571+1000-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>